

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिणधरी
पीठासीन अधिकारी- श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 259/2022

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भलाराम पुत्र धनराम उम्र 60 वर्ष 2. तुलसाराम पुत्र धनाराम उम्र 66 वर्ष 3. अमराराम पुत्र धनाराम उम्र 59 वर्ष जाति मेघवाल निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	1. कबु देवी पुत्री सवाराम उम्र 44 वर्ष 2. कालुराम पुत्र सवाराम उम्र 53 वर्ष 3. मांगी देवी पुत्री सवाराम उम्र 56 वर्ष 4. वाली देवी पुत्री सवाराम उम्र 38 वर्ष 5. शारदा देवी पुत्री सवाराम उम्र 30 वर्ष 6. प्रतापाराम पुत्र लक्ष्मणराम उम्र 35 वर्ष 7. गजेन्द्र पुत्र पुराराम उम्र 40 वर्ष 8. ढपी देवी पुत्री पूराराम उम्र 59 वर्ष 9. देवी पत्नि पूराराम उम्र 40 वर्ष 10. पारसमल पुत्र भंवराराम उम्र 42 वर्ष 11. लुणाराम पुत्र भंवराराम उम्र 39 वर्ष जाति मेघवाल निवासी चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 12. सवदाराम पुत्र सालुराम उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
--	---

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 2 व 6 से 12 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 1,3 से 5 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 04.01.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि वकील प्रार्थीगण श्री भंवरलाल सारण द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद राजस्व ग्राम गादेसरा के खेत खसरा संख्या 14 रकबा 60.12 बीघा, इसी ग्राम के खसरा संख्या 6 रकबा 68.05 बीघा राजस्व ग्राम चाडों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 831/178 के खेतों में वादीगण का हिस्सा घोषित करवाने व अन्य धाराओं 40, 53, 88, 90, 91, 92, 92क, 188, 207, 208, 209 राज.का.अधि. के अन्तर्गत वाद पेश किया

पुनः



है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है। खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 60.12 बीघा प्रार्थीगण / वादीगण संख्या 01 से 11 के आपसी सहमति के बंटवाड़े के प्रार्थीगण / वादीगण के हिस्से में रखी गई है जिस पर प्रार्थीगण / वादीगण का ही कब्जा काश्त है व अन्दर रहवासीय काश्त है। यह खेत प्रार्थीगण / वादीगण का पुरतैनी खेत है जिस पर प्रार्थीगण / वादीगण का होने से प्रथम प्रार्थीगण / वादीगण के पक्ष में है। कि ग्राम गादेसरा के विप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 का भी कब्जा काश्त व रहवास भूमि पुराने रहवास से दूर होने, कम उपजाऊ होने व हल्की किरम प्रार्थीगण / वादीगण के हिस्से में रखी गई थी। विप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण का नाम राजसव रेकॉर्ड में दर्ज हो जाने पर आपसी बंटवाड़े में यह जमीन प्रार्थीगण को दिये जाने पर विप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 ने अपना नाम जमीन प्रार्थीगण / वादीगण के नाम की करवाने का आश्वासन देते रहे, परन्तु अब कीमती बढ़ जाने के कारण विप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 के पक्ष में 06.222 को बेचान अपने हिस्से से अधिक भूमि का करवाने से यह बेचान शून्य होने पर भी विप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 01 से 12 अब प्रार्थीगण / वादीगण कब्जा काश्त व रहवास से बेदखल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कब्जा करने का प्रयास भी किया है अपने भाड़े के आदमीयों से प्रार्थीगण / वादीगण कर जबरन कब्जा किया गया व रहवास से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण / वादी अपूर्ण, अकल्पनीय आर्थिक, मानसिक व शारीरिक क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किय संभव नहीं होगा, इसके विपरीत विप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को कोई क्षति नहीं होगी प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्ण क्षति के दोनो बिन्दु प्रार्थीगण / वादीगण के पक्ष से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण / वादीगण के पक्ष का होने से राजस्व ग्राम गादेस खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 60.12 बीघा में प्रार्थीगण का पुरतैनी से कब्जा काश्त व र ढाणी में रहवास होने से इस खेत में विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल पैदा नहीं करे, कब्जा से बेदखल नहीं करे, रहवासी ढाणी में प्रार्थीगण के रहवास में प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे, जबरन इस खेत में प्रवेश नहीं करे व इस खसरे जमीन का किसी प्रकार का बेचान नहीं करे, इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी कर विप्रार्थीगणको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से जारी वि जावें।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है कि ग्राम गादेसरा में खेत खसरा संख्या में वादीगण कि विवादित आराजी का राजस्व रेकॉर्ड आज भी संयुक्त है तो पूर्व में बंटवा करने का कथन करना एवं पुरा खसरा एक पक्षकारान को देने का कथन ही आधारहीन है उक्त खसरे मे प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से में काबिज है। और राजस्व रेकॉर्ड हिस्सेनुसार कब्जा होने से वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद नही है। और उक्त खसरे के प्रतिवादीगण के द्वारा इस वाद से पहले बंटवाड़े का दावा पेश किया जा चुका है जो लम्बित है। उपरोक्त खसरा व रकबा का खेत अवश्य आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण व हम विप्रार्थीगण का प्रथम खतीनी के अनुसार पक्षकारान काबिज है। और वक्त सेटलमेन्ट खसरा संख्या 14 जिसमें वादीगण का हिस्सा था जो आज भी उनका हिस्सा सुरक्षित है और हिस्सा जो प्रतिवादीगण का था जिस पर हम प्रतिवादीगण काबिज है। उक्त खसरो का कोई बंटवाड़ा नही किया हुआ है राजस्व रेकॉर्ड आज भी संयुक्त रूप से है। विप्रार्थीगण के द्वारा उक्त खसरा

500 सिगरेट

गण/वादीगण को देने या अपना नाम हटाने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था और ही ऐसी कोई बात हुई थी। उक्त जमीन की किमत बढ़ जाने से प्रार्थीगण/वादीगण की शीत में फर्क आ गया है और कोर्ट में गलत रूप से दावा पेश कर रहा है। प्रथम दृष्टया वाद व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण किसी प्रकार का उक्त खसरे में स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः इस प्रकार के आवेदन पत्र में प्रार्थीगण की मांग विधि के प्रावधानों से बाहर जाकर की है। जिसको विधि के अधीन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण ने कानून के दायरे से बाहर जाकर आवेदन पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है जिस पर प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निष्काजा प्राप्त करने अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का आवेदन मय हर्जा-खर्चा खारिज करमायें।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवाद का मुख्य कारण खातेदारी की घोषणा करवाने में पारिवारिक समझौता के आधार पर निर्धारण की होने से उसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के किया जाना है। परन्तु जहां प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक एवं सामालाती होने की इस्तदुआ से सम्बद्ध रखता हो तथा विप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है ऐसी दशा में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में यदि दौरान विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढ़ती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढ़ने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरिये स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा गादेसरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 14 रकबा 60.12 बीघा में किसी प्रकार का बैचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रिकॉर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।



(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी